



महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001



P19/II/DRSSA-038/CG/2019-20

04/07/2019

To

All District/ Sub Treasury Officers/Banks.

Sir,

- Sub: 1.Revision in Chhattisgarh Judicial Services Pay Revision, Pension & Other Retirement Benefits Rule,2003-reg.
2.Increase in Dearness Relief w.e.f. 01/01/2019 to Central Freedom Fighters & their eligible dependant pensioners – reg.

- Ref: 1.SSA No.PA/General/Relief Order/419 dated.14/05/2019 of the office of the Accountant General (A&E), Chhattisgarh, Raipur.
2. Endt No.2583/250/21-B/C.G./2019 dated:08/03/2019 from the Department of Law & Legislative Affairs, Mantralaya, Government of Chhattisgarh.
3. Circular No. 45/08/2017-FF(P) dated: 26/03/2019 from Ministry of Home Affairs, Government of India.

I am to enclose herewith copy of SSA received from the office of the Accountant General (A&E), Chhattisgarh, Raipur regarding revision in Chhattisgarh Judicial Services Pay Revision, Pension & Other Retirement Benefits Rule,2003 and regarding increase in Dearness Relief w.e.f. 01/01/2019 to Central Freedom Fighters & their eligible dependant pensioners . The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in) under the link "**Treasury endorsement of orders for other state pensioners**". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Accounts Officer

क्र.पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/ प्रति. PM 12/mw/139 पंजीकृत विशेष मूद्रा प्राधिकार
दिनांक 15/5/2019


- 01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110124
- 02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद-500463
- 03 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) अरुणाचल प्रदेश, ईटा नगर-791111
- 04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी-781029
- 05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-11 बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001
- 06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
- 07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं.-4 एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़-160047
- 08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला-171003
- 09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्जीक्यूशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर-190009
- 10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, राँची-834002
- 11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-5329/5369 बेंगलोर-560001
- 12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी. रोड, तिरुवनंथपुरम-695039
- 13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-11 मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002
- 14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
- 15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-11 महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001
- 16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मनिपुर, इम्फाल-795001
- 17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलॉंग-793001
- 18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐजवल-796001
- 19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा-797001
- 20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडीशा, भुवनेश्वर-751001
- 21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017
- 22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर-302005
- 23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराती पी.ओ.-टाडोंग, गंगटॉक-737102
- 24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई-600018
- 25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुंजाभवन, अगरतला-799006
- 26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171
- 27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद-211001
- 28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता-700001
- 29 कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
- 30 डायरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
- 31 डायरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
- 32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), तेलंगाना, सैफाबाद, हैदराबाद-500463

69519

23/5/19


विषय: 1. छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ नियम, 2003 में संशोधन के संबंध में।
2. केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके पात्र आश्रितों के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में दिनांक 01.01.2019 में की गई वृद्धि के संबंध में।
संदर्भ: 1. छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक /520/21-ब/छ.ग./19, दिनांक 03/2019

2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 45/08/2017-FF(P), दिनांक 26.03.2019
संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं अपने अधीनस्थ सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित।
कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।
संलग्न: संदर्भित ज्ञापन की प्रति-(04 पृष्ठ)


लेखा अधिकारी/पी.ए.

क्र.पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/ प्रति. दिनांक: /2019

1. अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक 2583/520/21-ब/छ.ग./2019, दिनांक 08.03.2019 को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के क्रमांक एफ 7-18/2007/1-7, दिनांक 08.04.2019 को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।


लेखा अधिकारी/पी.ए.

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0) 492002

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक/03/2019

क्रमांक/520/21-ब/छ0ग0/19, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 11-क(2) में, खण्ड (1) एवं (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(1) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को देय पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति के समय धारित-पद के पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत होगा, जो अनुसूची 2(दो) और 3(तीन) के अनुसार होगा :

परन्तु यह कि पेंशन के पुनरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण के समय विद्यमान पेंशन का निम्नानुसार पहले समेकन किया जायेगा-

- | | |
|-------|---|
| (एक) | दिनांक 1-1-2006 के विद्यमान पेंशन |
| (दो) | दिनांक 1-1-2006 को मंहगाई पेंशन |
| (तीन) | दिनांक 1-1-2006 को विद्यमान मूल पेंशन और मंहगाई पेंशन विद्यमान दर से मंहगाई राहत: |

परन्तु यह और कि वे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01 नवम्बर, 2000 के पश्चात् तथा 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने के कारण सेवा में नहीं रहे हैं और उनकी वह पेंशन, जो

